

डिग्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी:- उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-654/2016

1. प्रमोदकमार } पि० प्रहलादराम
2. संजय कुमार }
3. शिवकुमार पुत्र कृष्णलाल
4. इन्द्रजीत पुत्र हरीराम
5. अजय कुमार } पि० रतीराम
6. अशोक कुमार }
7. सुनिल कुमार } पि० मदनलाल
8. रिटू }
9. पंकज } पि० श्यामसुन्दर
10. मोनू }
11. प्रीतम पुत्र राजाराम
12. प्रदीप कुमार नाबालिग पुत्र राजाराम जाति ब्राहमण निवासी पीरकामड़िया जरिये माता सुनिता पत्नी राजाराम जाति ब्राहमण निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

जाति ब्राहमण निवासीयान पीरकामड़िया तहसील

टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. प्रहलाद
2. कृष्णलाल
3. रतीराम } पि० रुपराम
4. मदनलाल }
5. श्यामसुन्दर }
6. राजाराम }
7. हरिराम }
8. मीरादेवी पत्नी रुपराम
9. भागवन्ती } पुत्रीयों रुपराम
10. कान्तादेवी }

जाति ब्राहमण निवासीयान पीरकामड़िया तहसील  
टिब्बी जिला हनुमानगढ।



11. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रोहिताश चाहर वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री अरविन्द नैण प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादीगण सं० 1 व 2 प्रमोद कुमार, संजयकुमार पि० प्रहलादराम को ब०हि०ब० चक नं० 9 एफटीपी के प०न० 196/251 मु० 33 किला नं० 6,15/2/.013, कुल .266 है०, वादीगण सं० 3 शिवकुमार पुत्र कृष्णलाल को चक नं० 9 एफटीपी के प०न० 196/251 मु० 33 किला नं० 7 कुल .253 है०, वादीगण सं० 4 इन्द्रजीत पुत्र हरीराम को चक नं० 9 एफटीपी के प०न० 196/251 मु० 33 किला नं० 5, 15/1/.012 है० कुल 0.265 है०, तथा वादीगण सं० 5,6 अजय कुमार, अशोक कुमार पि० रतीराम को ब०हि०ब० चक नं० 9 एफटीपी के प०न० 196/250 मु० 28 किला नं० 24 कुल .253 है०, वादीगण सं० 7,8 सुनिल कुमार, रिटू पि० मदनलाल को ब०हि०ब० चक नं० 9 एफटीपी के प०न० 196/250 मु० 28 किला नं० 25, प०न० 196/251 मु० 33 किला नं० 14/2/.

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
टिब्बी

012 है0 कुल 0.265 है0, वादीगण सं0 9,10 पंकज, मोनू पि0 श्यामसुन्दर को ब0हि0ब0 चक नं0 9 एफटीपी के प0न0 196/250 मु0 28 किला नं0 16, प0न0 196/251 मु0 33 किला नं0 14/1/.013 कुल 0.266 है0, वादीगण सं0 11,12 प्रीतम, प्रदीप कुमार पि0 राजाराम को ब0हि0ब0 चक नं0 9 एफटीपी के प0न0 196/250 मु0 28 किला नं0 17 कुल 0.253 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नं0 9 एफटीपी के खाता सं0 72/16 मे से प्रतिवादी सं0 1 ता 10 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 1.0.0.1.8.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....1.0.0.1.8.....को जारी किया गया।



( उम्मेद सिंह स्तानुव )  
 सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी